

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
लखनऊ**

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1802/2026

शिवम @ शुभम मिश्रा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ के माध्यम से,

एवं 3 अन्य

.....विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता: राम अचल गुप्ता, मनोज कुमार मिश्रा

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री गंगा प्रसाद द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र भी अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. यह वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से, मु0अ0सं0 0379/2025 में जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है; जो कि धारा 137(2), 87, 65(1), 351(3) बी.एन.एस., धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम, तथा धारा 3(1)(घ), 3(1)(ध), 3(1)(ख), 3(2)(v), 3(2)(vk) एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत, पुलिस थाना- अंतू, जिला- प्रतापगढ़ में दर्ज है।
4. वर्तमान आवेदन पर जोर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विचाराधीन एफआईआर (एफआईआर संख्या 0379/2025 दिनांक 24.11.2025) में अभियोक्ता/पीड़िता की आयु, यानी 15 वर्ष, जो मुखबिर/विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा पुलिस स्टेशन- अंतू, जिला- प्रतापगढ़ में दर्ज की गई थी, जिसमें धारा 137(2), 87 बीएनएस के तहत अपराधों को आकर्षित करने वाले आरोप लगाए गए हैं, विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अधीन है और जमानत के इस स्तर पर आयु निर्धारण से संबंधित मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों का लाभ, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिरद मल सिंहवी बनाम आनंद पुरोहित (1988) सप्लीमेंट एससीसी 604 में प्रकाशित, पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996) 2 एससीसी 384 में प्रकाशित, सुहानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दिनांक 26.04.2018 को सिविल अपील संख्या 4532/2018 में दिया गया निर्णय, जो विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8001/2018 से उत्पन्न हुआ है और मानक चंद उर्फ मणि**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बनाम हरियाणा राज्य के मामले में 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1397 में प्रकाशित निर्णय आवेदक के पक्ष में लागू होगा, क्योंकि चिकित्सकीय मत के अनुसार कथित घटना की तिथि पर पीड़िता की आयु लगभग 17 वर्ष थी।

5. आगे यह भी कहा गया है कि विचाराधीन एफ.आई.आर. को देखने से यह पता चलता है कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से अपना पैतृक घर छोड़ दिया था, और इसलिए पीड़िता के पिता ने किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ यह एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी।
6. आगे यह भी कहा गया है कि जाँच के दौरान, पीड़िता को बरामद कर लिया गया और जाँच अधिकारी (संक्षेप में "आई.ओ.") द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया। आई.ओ.द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज किया गया पीड़िता के बयान की प्रति, जो इस जमानत अर्जी के साथ अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में रिकॉर्ड पर है, यह दर्शाती है कि लगभग 17 वर्ष की आयु वाली पीड़िता का आवेदक के साथ प्रेम-संबंध था और 20.11.2025 को, पीड़िता ने अपनी मर्जी से भदोसी, पुलिस थाना- अंतू, ज़िला- प्रतापगढ़ स्थित अपना पैतृक घर छोड़ दिया और गाँव- बड़गाँव स्थित आवेदक के घर पहुँच गई तथा 25.11.2025 तक आवेदक के साथ रही; और पीड़िता का यह बयान आगे यह भी दर्शाता है कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से आवेदक के साथ विवाह कर लिया।
7. आगे यह भी कहा गया है कि संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने, परिवार वालों के दबाव में आकर पीड़िता ने अपना बयान बदल दिया और आवेदक पर आरोप लगाए; इन आरोपों के अनुसार, आवेदक ही वह व्यक्ति है जिसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। हालाँकि, इस बयान से यह भी पता चलता है कि पीड़िता ने आवेदक के साथ विवाह किया था और आवेदक तथा पीड़िता एक-दूसरे को पहले से जानते थे। इस संबंध में अनुलग्नक संख्या 4 का संदर्भ दिया गया है, जो कि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए पीड़िता के बयान की एक प्रति है।
8. आज न्यायालय में परिवादी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 16.03.2026 के शपथ-पत्र के आधार पर, यह आगे कहा गया है कि पूर्व में अभियोक्त्री/पीड़िता के परिवार के सदस्य आवेदक और पीड़िता के बीच के संबंध से सहमत नहीं थे, परंतु अब वे सहमत हैं। इस संबंध में, आज न्यायालय में परिवादी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के पैराग्राफ 2 और 3 का संदर्भ दिया गया है, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:-

"2. यह कि शादी के मामले पर आरोपी के पिता और शपथकर्ता (पीड़ित के पिता) के साथ चर्चा की गई है। आरोपी के परिवार और पीड़ित के परिवार ने शादी के लिए सहमति दे दी है। दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है।"

3. यह कहा जाता है कि हमने अपनी बेटी की शादी आरोपी से पहले ही कर दी है, और अब हम पीड़ित और आरोपी दोनों की शादी (कानूनी/औपचारिक रूप से) सबकी सहमति से करेंगे।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. आगे यह भी कहा गया है कि, धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज पीड़ित के बयान(नों) को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को भी देखते हुए कि पीड़ित के परिवार वालों ने अब आवेदक और पीड़ित के बीच के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, और यह भी कि पीड़ित ने स्वयं के अनुसार, आवेदक के साथ विवाह संपन्न किया था, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। ज़मानत पर रिहा होने की स्थिति में, आवेदक ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा, और अभियोजन पक्ष के गवाहों को भी प्रभावित नहीं करेगा।
10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत की अर्जी का विरोध किया, हालाँकि वे आवेदक के अधिवक्ता की उपरोक्त दलीलों का खंडन नहीं कर सके।
11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों एफ.आई.आर., और इस तथ्य पर उचित विचार करने के बाद कि आवेदक को पहले किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और वह 03.12.2025 से जेल में है; साथ ही इस मामले में आवेदक के दोषी ठहराए जाने की संभावनाओं और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि पीड़ित के परिवार वालों ने अब पीड़ित और आवेदक के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है और वे उनकी शादी करवाने के लिए तैयार हैं, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान आवेदक को अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार, इसे **स्वीकृति** दी जाती है।
12. आवेदक - **शिवम @ शुभम मिश्रा** को, उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में, 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय ज़मानतदार (जिनमें से एक परिवार का सदस्य/निकट संबंधी हो) संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए :-
- (i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
 - (ii) आवेदक विचारण के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
 - (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
 - (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (vi) आवेदक विचारण कोर्ट के सामने हर तय तारीख पर, या तो खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।
 - (vii) आवेदक सबूतों के लिए तय तारीखों पर, जब गवाह अदालत में मौजूद हों, सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा।
 - (viii) आवेदक, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए तय तारीखों पर, विचारण न्यायालय के सामने खुद उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
14. चूँकि यह आदेश आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

17 मार्च, 2026

अरुण/-

(माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।